

तत्काल प्रकाशन हेतु


भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

अध्यक्ष, भादूविप्रा ने 'दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकारों के लिए रूपरेखा' पर भादूविप्रा की सिफारिशों को अंतिम रूप देने में शामिल भादूविप्रा के अधिकारियों को सम्मानित किया।

नई दिल्ली, 18 सितंबर 2024 – भादूविप्रा के अध्यक्ष ने भादूविप्रा के अधिकारियों को "दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत प्रदान किए जाने वाले सेवा प्राधिकारों के लिए रूपरेखा" पर सिफारिश की तैयारी को शीघ्रता से पूरा करने में उनकी अनुकरणीय सेवा के लिए सम्मानित किया।

2. सम्मानित किए गए अधिकारियों के नाम निम्नलिखित हैं : श्री एस.बी.सिंह, प्रधान सलाहकार; श्री एस. टी. अब्बास, प्रधान सलाहकार; श्री डी. मनोज, प्रधान सलाहकार; श्री अखिलेश त्रिवेदी, सलाहकार; श्री अब्दुल कायूम, सलाहकार; श्री अमित शर्मा, सलाहकार; श्री संचित गर्ग, संयुक्त सलाहकार; श्री शिशिर कंसल, संयुक्त सलाहकार; लेफिटनेंट कर्नल शांतनु दास, संयुक्त सलाहकार; लेफिटनेंट कर्नल प्रणव मोहोत्रा, संयुक्त सलाहकार; लेफिटनेंट कर्नल रवींद्र भंडारी, संयुक्त सलाहकार; श्रीमती रचना माथुर, संयुक्त सलाहकार; श्री मनमोहन व्यास, संयुक्त सलाहकार; श्रीमती सोनिया मदान, उप सलाहकार; श्रीमती मीरू गुलाटी, उप सलाहकार; श्री ओमेंद्र कुमार गोविंद, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी; श्री ए.एल. रमेश, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी; सुश्री सुभा सिन्हा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी; श्रीमती अपर्णा वत्स, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी।

3. भादूविप्रा ने आज दिनांक 18.09.2024 को "दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत प्रदान की जाने वाले सेवा प्राधिकारों के लिए रूपरेखा" पर सिफारिशों जारी की हैं। मौजूदा लाइसेंसिंग ढांचे को नए प्राधिकरण ढांचे में पूर्ण रूप से बदलने के लिए परामर्श और सिफारिशों को अंतिम रूप देने का विस्तृत कार्य दूरसंचार विभाग से दिनांक 21 जून, 2024 को एक संदर्भ प्राप्त होने पर शुरू किया गया और जिसे 90 दिनों की अल्प अवधि में पूर्ण कर लिया गया।


(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, ट्राई